न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुंझुनूं
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

मु.नं. 101/2024

जी.सी.एम.एस. ....

दर्ज दिनांक–19.06.2024

कुरडाबक्स पुत्र मदन खां जाति मुसलमान निवासी बड़वासी

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक :– प्रार्थी स्वयं

प्रार्थना–पत्र अं0धा0 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

::आदेश:: निर्णय दिनांक 19.06.2024

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अं.धा. 136 एल.आर.एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम बड़वासी पटवार हल्का बड़वासी में स्थित भूमि खाता सं. 44 के अन्तर्गत ख.नं. 44, 1572/1370 रकबा कमशः 0.7200, 0.2313, हैक्टेयर में आवेदक का नाम कुरड़ाबक्स पुत्र मदन खां जाति धोबी गलत दर्ज कर दिया गया है, जिसे दुरूस्त किया जाकर कुरड़ाबक्स पुत्र मदन खां जाति धोबी (मुसलमान) दर्ज व दुरूस्त किया जावे।

प्रार्थना–पत्र बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया । अनावेदक तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा रिपोर्ट 18/06/2024 को प्राप्त हुई जिसके अनुसार प्रार्थी का नाम कुरड़ाबक्स पुत्र मदन खां जाति धोबी का नाम कुरड़ाबक्स पुत्र मदन खां जाति धोबी (मुसलमान) दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से इत्तिफाक रखते हुए यह न्यायालय आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र स्वीकार करता है तथा ग्राम बड़वासी पटवार हल्का बड़वासी में स्थित भूमि खाता सं. 44 के अन्तर्गत ख.नं. 44, 1572/1370 रकबा क्रमशः 0.7200, 0.2313 में आवेदक का नाम कुरड़ावक्स पुत्र मदन खां जाति धोबी गलत दर्ज कर दिया गया है, जिसे दुरूस्त किया जाकर कुरडावक्स पुत्र मदन खां जाति धोबी (मुसलमान) दर्ज व दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ़ राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 19.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जयसिंह) RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner